संख्या-1408जेएल/22-3-2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 22 नवम्बर, 2022

विषय:- जिला कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चेत नरायण सिंह पुत्र स्व0 रामदेव, निवासी जनपद-वाराणसी को पत्नी के उपचार हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1219/जि0प्रो0का0/बंदी-पैरोल वृद्धि/2022-23, दिनांक 14-11-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चेत नरायण सिंह पुत्र स्व0 रामदेव, निवासी-म0नं0-सी0के0 63/107, छोटी पियरी, थाना-चौक, जनपद-वाराणसी को शासनादेश संख्या-।/221295/2022 फाइल नं0-22-3016(099)/92/2022, दिनांक 03-10-2022 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। उपरिवर्णित शासनादेश दिनांक 03-10-2022 में अंकित शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।